बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १६ अप्रील १६६१ को पूर्वाह्न ११ बजे उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह के सभापतित्व में हुआ ।

श्री दीप नारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र फरवरी से जून, १६५६ के २०४ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके, सभा के मेज पर रखता हूँ । शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत कराये जायेंगे ।

सूची ।

क्रम सं० ।	सदस्यों के नाम ।	प्रश्न संख्या ।
१	श्री सभापति सिंह	३०, ७०६, १६२६, १६६६, २८२७ ।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	३४, २४७, ४६४, ७३२, १७१० २००२, २००६, २४४१, २८३७ ।
३	श्री धनंजय महतो	३७ ।
४	श्री रसिक लाल यादव	३८, १४०६, १६३६, २१४४, २१६३ ।
५	श्री रामानन्द सिंह	४१, २६५८ ।
६	श्री देवेन्द्र झा	२५३, ११५१, १६६० ।
७	श्री देवनन्दन प्रसाद	२७० २३००, २८३६ ।
८	श्री कार्यानन्द शर्मा	२७२ ।
६	श्री जयनारायण झा "विनीत" ..	२८२ ।
१०	श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव	४१६ ।
११	श्री कपिलदेव सिंह	४१६, ४८७, ११६२, १२३८, १७५१, १७८३, २४३२, २६८०

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्र ने इस साल जनवरी, १९६० में भी अपने स्कूल द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पास पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ;

(४) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्र ने एक आवेदन-पत्र मंत्री, कल्याण विभाग के पास तिथि २४ फरवरी १९६० को भेजा है ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर हां में हैं, तो क्या सरकार उक्त छात्र को पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री भोला पासवान—( ) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) गत् वर्ष उक्त छात्र ने छात्रवृत्ति के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया था। अतः छात्रवृत्ति देने के प्रश्न पर विचार ही नहीं हो सका और छात्रवृत्ति नहीं मिली।

(३) निर्धारित तिथि ३१ जनवरी १९६० तक उक्त छात्र का आवेदन-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था।

(४) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(५) उपर्युक्त उत्तर के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दिनेश्वर प्रसाद केवट आदि को छात्रवृत्ति।

११७५। श्री मंजूर अहमद—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री दिनेश्वर प्रसाद केवट तथा श्री रामदेव प्रसाद केवट नामक दो लड़के मिड्ल स्कूल, पार-नवादा, पोस्ट नवादा, जिला गया के ६ ठे वर्ग में पिछड़ी जाति एनेक्सर १ के छात्र हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों छात्रों ने अपने स्कूल के द्वारा पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पास आवेदन-पत्र जनवरी, १९६० में भेजा है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों छात्रों ने दो आवेदन-पत्र तिथि ६ फरवरी १९६० को मंत्री, कल्याण विभाग के पास भी भेजा है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री भोला पासवान—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी के पास स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा तिथि ३१ जनवरी १९६० तक भेजा जाने को था। जिला शिक्षा पदाधिकारी से इससे कोई संबंध नहीं है। प्राप्त प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, गया या जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया किसी के कार्यालय में जनवरी, १९६० में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(३) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(४) प्रश्न के खंड (२), (३) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता।

PETITION AGAINST AMIN-IN-CHARGE.

1220. Shri HARICHARAN SOY: Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Shri Rautu Rai Haiburu of village Riring in P.-S. Kharsawan in Singhbhum gave a petition to the Assistant Settlement Officer in charge of the area in Kharsawan in December, 1959 alleging that Shri Rajbanshi Singh, the Ami - in-charge of the settlement work in that village was demanding money from Rautu Rai Haiburu ;

(2) if so, the action taken in the matter ?

श्री विनोदानन्द झा—(१) ग्राम रिरिंग की खानापूरी जुलाई, १९५९ के पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस विषय में श्री राउतू राम हेबू द्वारा कोई आवेदन-पत्र दिसम्बर, १९५९ में नहीं प्राप्त हुआ था।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

सड़क और नाला का प्रबन्ध।

१२२६। श्री ब्रजनन्दन शर्मा—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि चम्पारण जिला के नरकटिया अंचल के अन्दर एकउरी बाजार है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार की सीमाबन्दी कर सीमा घेरा नहीं गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में न कोई सड़क निकाली गई है और न नाला की व्यवस्था की गई है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बाजार के जमीनों की सीमाबन्दी कराकर कबतक सड़क और नाला का प्रबन्ध कराने का विचार करती है ?

श्री विनोदानन्द झा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है। सीमाबन्दी की आवश्यकता नहीं है। सीमाबन्दी करने से बाजार के विकास में रुकावट आने की संभावना है।